कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 – 2201507
प्रेषक,

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक 2455/सम्बद्वता/2012 दिनांक 17/10/2012

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय
धनौती, भाटपाररानी, देवरिया

विषय– रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय, धनौती, भाटपाररानी, देवरिया को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में सम्बद्धता (स्थायी) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– सम्ब0 322/सत्तर–6–2012–2(232)/2012 दिनांक 06 सितम्बर, 2012 द्वारा **रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय, धनौती, भाटपाररानी, देवरिया को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2011–12 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2012 से शैक्षिक सत्र 2012–13 हेतु शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

उक्त पत्र में अंकित शर्त संख्या–1 के अनुपालन में महाविद्यालय ने सत्र 2011–12 का परीक्षाफल प्रस्तुत किया है, परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक है, जो परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित है। संदर्भित महाविद्यालय परीक्षा सत्र 2011–12 की परीक्षा में नकल में आरोपित नहीं है।

उपरोक्त शासन के पत्र में अंकित शर्त संख्या–1 में निर्दिष्ट आदेश के अनुपालन में **रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय, धनौती, भाटपाररानी, देवरिया को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में** माननीय कुलपति ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन दिनांक 01.07.2011 से शासन के पत्र संख्या– सम्ब0 322/सत्तर–6–2012–2(232)/2012 दिनांक 06 सितम्बर, 2012 में निहित निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता (स्थायी) एवं कक्षा संचालन की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अनुसचिव, (उच्च शिक्षा) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4. अधिष्ठाता कला संकाय, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
5. परीक्षा नियंत्रक, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
6. समन्वयक, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे तत्काल वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

75 p-aff-f-ddu